three growth centres at Gandhidham (Kutch), Palanpur (Banasakantha) and Vagra (Bharuch). The Central Government's contribution to each approved centre is Rs. 10 crores. Central assistance is released having regard to the physical and financial progress in the implementation of the Growth Centre.

Under the Integrated Infrastructural Development (IID) Scheme, 1994, Gujarat has been sanctioned one centre in village Miyani, district Junagarh with a project cost of Rs. 5 crores.

मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास हेतु योजनाएं

3858. **श्री अजीत जोगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन-किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जायेगी; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि की सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, मध्य प्रदेश सहित देश में खादी तथा ग्रामोद्योग संबंधी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करता है । इसके सामान्य कार्यक्रमों के अलावा, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने मध्य प्रदेश के 15 खंडों में 125 खंडा विकास कार्यक्रम तथा राज्य के 6 जिलों में जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम जैसे विशेस कार्यक्रम भी शुरू किये हैं ।

(ख) और (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वित्तीय सहायता के अलावा, खादी तथा पोलीवस्त्र कार्यक्रम के लिए ब्याज राजसहायता पात्रता प्रमाणपत्र के आधार पर संस्थागत वित्तीय अभिकरणों के जरिये भी धनराशि मुहैया की जाती है जिसके तहत कार्यान्वयन अभिकरण 4% वार्षिक की दर से ब्याज वहन करते हैं और इसके व बैंक दर के बीच के अंतर की पूर्ति खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजसहायता के रूप में की जाती हैं । कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा तैयार तथा प्रस्तुत की गयी परियोजनाओं के आधार पर कंसोर्टियम बैंक ऋण के अंतर्गत भी धनराशि मुहैया की जाती है । परियोजना प्रस्ताव के अंतर्गत 10.00 लाख रु. तक की लागत वाली परियोजना शुरू में बिना ब्याज के 25% सीमांत धन के लिए पात्र होते हैं जो ऋण की पुर्नअदायगी के बाद अनुदान में बदल जाता है। 10.00 लाख रु.से अधिक और 25.00 लाख रु. तक लागत वाली परियोजनाएं प्रथम 10.00 लाख रु. के लिए 25% की दर से और शेष राशि के लिए 10% की दर से सीमांत धन की पात्र होती है। पर्वतीय / सीमावर्ती, जनजाति तथा कमजोर वर्ग वाले क्षेत्र, अ.जा. /अ. ज. जा. /अ. पि. वर्ग/ अल्प संख्यक /सेमफैक्स-3/ महिला लाभ भोगियों के मामलों में, 10.00 लाख रु. तक की परियोजनाएं 30% की दर से सीमांत धन के लिए पात्र हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कुल वितरित राशि क्र ब्योरे इस प्रकार हैं:-

(रुपये लाख में)

वर्ष	अनुदान	ऋण
1994-95	203.23	497.36
1995-96	112.07	303.23
1996-97	41.11	455.49

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जारी की गई उपर्युक्त राशि के अलावा, सरकार की गारंटी पर बैंक कंसोर्टियम द्वारा स्वीकृत ऋण से के.वी.आई.सी.द्वारा मध्य प्रदेश को 1995-96 के दौरान 891.81 लाख रु. की राशि भी प्रदान की गई थी ।

विभिन्न उद्योंगों को राजसहायता का प्रावधान

3859 . **श्री अजीत जोगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करंगे कि:

(क) क्या सरकार विभिन्न उद्योगों को राजसहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श के बाद उद्यमियों को कुटीर तथा लघु उद्योंगों की स्थापना हेतु कोई अनुदान भी प्रदान किया जता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान इस संबंध में मध्य प्रदेश के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा कितनी राशि दी गई; और

(ड.) सरकार द्वारा ऊद्यमियों के लिए औद्योगिक इकाइयां लगाये जने हेतु कौन-कौन सी नई योजनाएं बनाए जाने का विचार है?